

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

2/1/23 पञ्जावली पैसा हुई। जबकि उद्योग पञ्जावली  
 मूल पं. 07/21/07 के तहत सड़क  
 न्यायालय को लौटाया जा चुका है। पं. 07/21/07  
 कोर्ट के आदेश के चलते का कोई  
 अहित नहीं है। अतः उद्योग द्वारा  
 निवेदन भी सड़क न्यायालय को लौटाया  
 जाता है। पञ्जावली पैसा सुमात के तहत  
 मन्वा से कम है।

ए. सी. ई. एम. (क. दे.)  
 नवलगाह

